तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./5527/2003/बून्दी** **हरजीत सिंह बनाम विजयकंवर,अशोक कुमार व अन्य**	
	एकल–पीठ **श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री जी.एस.लखावत अभिभाषक प्रार्थी (2) श्री आर.के.शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी (3) श्री अभिषेक शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी **निर्णय दिनांक : 7.1.2020** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 13–10–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने प्रार्थी के विरूद्ध एक नियमित वाद उपखण्ड अधिकारी बून्दी के न्यायालय में वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत करते हुये वाद पत्र के साथ अधिनियम की धारा 212(2) सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी बाबत नियुक्त किये जाने रिसीवर प्रस्तुत किया। विचारण न्यायलय ने अपने निर्णय दिनांक 19–3–2001 के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। इससे व्यथित होकर अप्रार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 13–10–2003 से 1000/–रूपये प्रति बीघा प्रतिवर्ष कैश सिक्यूरिटी जमा कराने की शर्त पर प्रार्थी को काश्त करने की इजाजत प्रदान की। सिक्यूरिटी की राशि जमा नहीं कराने पर तहसीलदार बून्दी को रिसीवर नियुक्त करने के आदेश प्रदान किये। इससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की गई है। 3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई। 4– प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि विवादग्रस्त आराजी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./5527/2003/बून्दी</u>** **हरजीत सिंह बनाम विजयकंवर,अशोक कुमार व अन्य**	
	को प्रार्थी ने पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किया है तथा उक्त विक्रय पत्र को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है तथा स्वयं भंवर लाल ने भी इस विक्रय पत्र को गलत नहीं बताया इसके बाबजूद भी विपक्षी द्वारा स्वयं का कब्जा बताकर तथा बाद में बेदखल कर दिये जाने का बिन्दु अंकित कर जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उसे उपखण्ड अधिकारी बून्दी ने सही रूप से निरस्त किया था परन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी ने बिना किसी आधार के सम्भावनाओं के आधार पर निर्णय पारित कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई जिससे यह साबित होता हो कि उनको कभी भूमि से बेदखल किया गया हो।मात्र प्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से उसका कब्जा नहीं होना किसी भी रूप में नहीं माना जा सकता है तथा रिसीवर नियुक्ति के बाबत कोई परिस्थिति वर्तमान प्रकरण में मौजूद नहीं है। इसलिये राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त योग्य है। 5- जबाब में अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस बताया कि वादग्रस्त आराजी पर शुरू से उनका कब्जा था। धारा 212 के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश राजस्व मण्डल तक यथावत रहा। ऐसी स्थिति में भूमि पर प्रार्थी द्वारा कब्जा करना न्यायालय के आदेश की अवहेलना है।ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहींह होने से रिसीवर नियुक्ति का आदेश विधिसम्मत है। अपीलीय न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। 6- हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 7- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी द्वारा जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र की गई है। जिसको किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई हो ऐसा कोई प्रमाण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है तथा विक्रेता ने भी इस बेचान को गलत नहीं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./5527/2003/बून्दी** **हरजीत सिंह बनाम विजयकंवर,अशोक कुमार व अन्य**	
	बताया है और किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। पक्षकारों के स्वत्व एवं अधिकारों का अन्तिम रूप से निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य के द्वारा होगा। अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति एवं कब्जे बाबत मुख्य रूप से विचार किया जाना है। विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत नियुक्ति रिसीवर को खारिज किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी पर तहसीलदार बून्दी को रिसीवर नियुक्त किया है। विकल्प में ता फैसला वाद कब्जा बनाये रखने की स्थिति में कैश सिक्यूरिटी का आदेश पारित किया है। 8- अधिनियम की धारा 212 में निषेधाज्ञा व रिसीवर नियुक्ति की व्यवस्था दी गई है। यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी वाद या कार्यवाही के दौरान में शपथ पत्र या अन्य प्रकार से यह सिद्ध हो जावे कि कोई सम्पति जिसके बारे में ऐसा वाद या कार्यवाही उससे सम्बन्धित किसी पक्षकार द्वारा दुरुपयोग किये जाने,क्षतिग्रस्त किये जाने, या हस्तान्तरित किये जाने के खतरे में है या उक्त वाद या कार्यवाही से सम्बन्धित कोई पक्षकार न्याय के उद्येश्य को सफल ना होंने देने के अभिप्राय से उस सम्पति को हटाने या उसके व्ययन करने की धमकी देता या विचार रखता है तो न्यायालय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो रिसीवर को भी नियुक्त कर सकता है। अधिनियम की धारा 212(2) के तहत कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अन्तर्गत जिसके विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी की गई हो या जिसकी सम्पति कें बारे से रिसीवर नियुक्त किया गया हो, वाद या कार्यवाही का निर्णय उसके खिलाफ हो जाने की अवस्था में, विरोधी पक्ष की क्षतिपूर्ति करने के लिये ऐसी रकम न्यायालय तय करे, कि नकद जमानत दे सकेगा और जमानत की रकम जमा कराने पर न्यायालय निषेधाज्ञा या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश, यथास्थिति को वापस ले सकेगा। 9- रिसीवर नियुक्ति एक कठोरतम कदम है। वादग्रस्त आराजी के वेस्ट,डेंमेज या एलीनियेट होने की सम्भावना होने पर ही रिसीवर नियुक्ति का आदेश पारित किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण मे विवादग्रस्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./5527/2003/बून्दी</u>** **हरजीत सिंह बनाम विजयकंवर,अशोक कुमार व अन्य**	
	आराजी को प्रार्थी ने पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किया है तथा उक्त विक्रय पत्र को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है तथा स्वयं भंवर लाल ने भी इस विक्रय पत्र को गलत नहीं बताया है। किसी पक्ष द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना की हो, इस बाबत कोई रेकार्ड भी पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में बिना किसी ठोस आधारों के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिसीवर नियुक्ति का आदेश पारित किया है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। 10- उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13-10-2003 निरस्त किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सतीश चन्द्र गोंदारा)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./5527/2003/बून्दी</u>** **हरजीत सिंह बनाम विजयकंवर,अशोक कुमार व अन्य**	